

नरेन्द्र कुमार सिंह, भा0प्र0से0, समाहर्ता-सह-जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 23.09.2013 को सम्पन्न जिला स्तरीय वरीय पदाधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही :-

• उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. श्री कपिलेश्वर विश्वास, अपर समाहर्ता, मुंगेर।
3. श्री रत्नेश कुमार, उप विकास आयुक्त, मुंगेर।
4. डॉ0 ईश्वरचन्द्र सिंह, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर।
5. डॉ0 रविन्द्र नाथ, प्रभारी पदा0 (बन्दोवस्त)-सह-जिला राजस्व शाखा, मुंगेर।
6. श्री भानू प्रकाश, स्थापना उपसमाहर्ता-सह-प्रभारी पदा0, आपदा प्रबंधन/भू-अर्जन शाखा।
7. श्री हीरामुनि प्रभाकर, जिला पंचायती राज पदाधिकारी-सह-नजारत उपसमाहर्ता, मुंगेर।
8. डॉ0 आजाद शहाबुद्दीन, जिला परिवहन पदा0, मुंगेर।
9. श्री आलोक कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर।
10. श्री ज्ञानेश्वर प्रकाश, जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर।
11. गुलाम मोहम्मद, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर।
12. श्री राजेन्द्र दास, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मुंगेर।
13. श्री रविशंकर उरॉव, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विधि।
14. श्री विरेन्द्र कुमार, व0उ0समा0 प्रभारी, नीलाम पत्र, मुंगेर।
15. एहसान अहमद, व0उ0समा0 प्रभारी, जिला विकास शाखा, मुंगेर।
16. श्री कुमार प्रशान्त, खास महाल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर।
17. श्री कुमार प्रेमनाथ, जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर।
18. जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर।
19. श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर।

• अवकाश अथवा अन्य विशेष कारण से अनुपस्थित पदाधिकारी :-

20. श्री श्यामानन्द झा, नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर।
21. श्री संजय प्रियदर्शी, निदेशक, डी0आर0डी0ए0, मुंगेर।

सर्वप्रथम प्राकृतिक आपदा, बाढ़/सुखाड़ के दृष्टिगत संबंधित पदाधिकारियों को निम्न निदेश दिए गए :-

1. भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को SDRF एवं NDRF अन्तर्गत निर्धारित साहाय्य मानदर का वितरण किसी भी हालत में दिनांक 30.09.2013 तक अवश्य कर दिया जाए।
2. जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर को यह जिम्मेवारी दी जाती है कि वृहत् रूप से प्रचार प्रसार कर आमजनों तक यह सूचना प्रसारित करें कि जाँचोपरान्त वैसे व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भा0द0वि0 में निहित धाराओं के अन्तर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने बाढ़ के मद्देनजर गलत तरीके से राहत सामग्री प्राप्त की है।
3. बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अधिष्ठापित राहत शिविर/शरण स्थली के प्रभारी पदाधिकारी भी अपने स्तर से राहत सामग्री प्राप्त करने वाले अपात्र व्यक्तियों की जाँच कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।
4. आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1293/आ0प्र0, दिनांक 17.04.12 के अनुसार निर्धारित साहाय्य मानदर के 9वें स्तम्भ में वर्णित मकानों, क्रमशः पक्का मकान, कच्चा मकान एवं झोपड़ीनुमा मकान का विवरण, जिसमें विशेषकर बाढ़ से क्षतिग्रस्त झोपड़ीनुमा मकान एवं आंशिक क्षतिग्रस्त मकानों का सर्वेक्षण कर आंकलित प्रतिवेदन प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है, ताकि गृह क्षति अनुदान के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को निर्धारित मुआवजा दिया जा सके। उक्त कार्य का अनुश्रवण प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय पदाधिकारी (Mentor) प्रखंड स्तरीय बैठक में समीक्षा कर क्षतिग्रस्त घरों का फोटोग्राफ सहित आवेदन पत्र प्राप्त कर संकलित प्रतिवेदन दिनांक 30.09.2013 तक उपलब्ध कराएँगे।

5. इसके अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि बाढ़ से प्रभावित मृत पशुओं का भी सर्वेक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उक्त निदेश के अनुपालन हेतु वरीय पदाधिकारी (Mentor) अपने स्तर से भी अनुश्रवण करेंगे।
6. बाढ़ से क्षतिग्रस्त फसल का आंकलन कर संबंधित कृषकों की सूची उपलब्ध कराने हेतु वरीय पदाधिकारी (Mentor) प्रखंड स्तरीय बैठक में समीक्षा करेंगे।
7. बाढ़ से प्रभावित पीड़ित व्यक्तियों के लिए बनाए गए शरण स्थली/राहत शिविर के आय-व्यय का मदवार अंतिम प्रतिवेदन सभी अंचल अधिकारियों से प्राप्त कर वरीय पदाधिकारी (Mentor) अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 30.09.13 तक अवश्य उपलब्ध कराएँगे।
8. जिले में प्रा0स्वा0के0/अति0प्रा0स्वा0के0/आंगनबाड़ी केन्द्र/कला भवन/सामुदायिक भवन/पंचायत सरकार भवन/विद्यालय भवन/प्रखंड-सह-अंचल भवन/थाना भवन/लैंड बैंक/मनरेगा भवन इत्यादि के लिए भूमि उपलब्धता हेतु भूमि विन्हित कर प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. वरीय पदाधिकारी (Mentor) यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन मद में सभी प्रखंडों को उपावृत्ति राशि का वितरण हरहाल में दिनांक 05.10.13 के पूर्व अवश्य कर लिया जाए। उक्त कार्य की सफलता हेतु सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर प्रखंडवार तिथि निर्धारित कर वितरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराएँगे।
10. प्रत्येक वृहस्पतिवार को आयोजित जिला जनता दरबार में कई ऐसे लाभुक शिकायत लेकर आते हैं कि उनके पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन का पुराना पासबुक होने के बावजूद नया पासबुक नहीं बनाया जा रहा है जिसके कारण पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति धरहरा, जमालपुर, असरगंज एवं टेटियाबम्बर प्रखंड में सर्वाधिक है। अतएव सहायक निदेशक सामाजिक, सुरक्षा, मुंगेर व्यक्तिगत रूप से सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि के वितरण कार्यक्रम एवं सभी प्रकार की गतिविधियों की वास्तविक समीक्षा धरहरा प्रखंड से प्रारंभ करते हुए सभी प्रखंडों का स्थलीय निरीक्षण कर संभावित त्रुटियों/कमियों का निराकरण कराएँगे। स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह विशेष समीक्षा की जाए कि किन पंचायत सचिवों के पास सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि समायोजन हेतु अभी भी लंबित है। तत्पश्चात् उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई हेतु प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे।
11. 'बिहार महादलित विकास मिशन' के अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री महादलित रेडियो योजना' का कार्यान्वयन दिनांक 25.09.2013 से 27.09.2013 तक प्रखंडवार रोस्टर के अनुसार किया जाना है जिसके अन्तर्गत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा सर्वेक्षित मुंगेर जिले के कुल 19247 महादलित परिवारों को सूची के अनुसार कूपन (400/- रू0 मूल्य) शिविर के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। इस निमित्त प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय पदाधिकारी (Mentor) निर्धारित तिथि के पूर्व अपने-अपने प्रखंडों में कार्यान्वित योजना की सभी तैयारियों की समीक्षा करते हुए कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करेंगे।
12. भू-अभिलेख कम्प्यूटराईजेशन अन्तर्गत विभागीय प्रपत्र-2 (रैयत का स्वघोषणा), प्रपत्र-3 (राजस्व कर्मचारी का जाँच प्रतिवेदन) एवं प्रपत्र-4 (वैसे रैयत जिनके जमीन का सत्यापन नहीं हो पाया है), की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) एवं अन्य टी0एच0आर0 दिवस एवं मनरेगा दिवस में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी करेंगे।

13. कबीर अन्वेषित योजना एवं पारिवारिक लाभ योजना में प्रखंडों को उपावंटित राशि के विरुद्ध वितरण की स्थिति की भी जांच वरीय पदाधिकारी (Mentor) सुनिश्चित करेंगे।
14. जिले के सुखाइग्रस्त घोषित होने के उपरान्त डीजल अनुदान हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का वितरण कर वांछित कृषकों को इस योजना का लाभ दिया जाना आवश्यक हो जाता है। संक्षिप्त प्रतिवेदन की समीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि प्रखंडवार उपलब्ध कराई गई 306.18 लाख रु० के विरुद्ध मात्र 53.00 लाख रु० का वितरण किया गया है जो मात्र 20.79% है। वरीय पदाधिकारी (Mentor) विशेष रूप से डीजल अनुदान अन्तर्गत इतना कम व्यय होने के कारणों की जाँच कर परिलक्षित त्रुटियों/कमियों का निराकरण करते हुए वितरण में तेजी लाना सुनिश्चित करायेंगे। सहजता हेतु इस योजना में प्रखंडवार उपलब्ध कराई गई राशि की प्रखंडवार संक्षिप्त विवरणी का उल्लेख अधोलिखित किया जाता है :-

क्र०	प्रखंड का नाम	उपलब्ध कराई गई राशि (रु० लाख में)
1	सदर	4.00
2	जमालपुर	4.00
3	बरियारपुर	4.00
4	धरहरा	38.60
5	खड़गपुर	74.98
6.	टेठियाबम्बर	39.70
7	तारापुर	51.80
8	असरगंज	43.10
9	संग्रामपुर	46.00
कुल		306.18

15. दिनांक 19.10.2013 को निर्धारित युवा महोत्सव के शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संचालन हेतु पदाधिकारियों की गठित टीम को निदेश दिया गया कि प्रदत्त दायित्वों का निर्वहन तन्मयता से करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाएँ। विदित हो कि अनुमंडल स्तर पर दिनांक 01.10.2013 को कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न विधाओं में चयनित युवाओं की सूची मांगी गई है, तत्पश्चात् दिनांक 19.10.13 को जिला स्तर पर युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है।
16. टी०एच०आर० एवं मनरेगा दिवस में जांच हेतु प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उपरोक्त दिवसों में विद्यालय/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र/आंगनबाड़ी में संचालित मध्याह्न भोजन योजना/कन्या विवाह योजना/ सामाजिक सुरक्षा पेंशन/BRGF, 13वाँ वित्त आयोग, चतुर्थ वित्त आयोग, एकीकृत कार्य योजना (IAP), आपकी सरकार आपके द्वार इत्यादि की भी जांच अवश्य करें तथा अधोहस्ताक्षरी को वास्तविक वस्तुस्थिति संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध करायें ताकि दोषी कर्मियों/व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।

इसके अतिरिक्त पूर्व निर्गत कार्यवाहियों में प्रदत्त निदेशों को पुनः उल्लेखित करते हुए नियमित अनुश्रवण/अनुपालन कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश संबंधित पदा० को दिया गया :-

1. पूर्व सम्पन्न बैठक में निर्णित निदेश, यथा- प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता की अध्यक्षता में प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार को प्रखंड-सह-अंचल स्तरीय बैठक का आयोजन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी की उपस्थिति में करेंगे जिसमें विशेषकर RTPS काउण्टर, कैशबुक का अद्यतन संधारण, मनरेगा, इंदिरा आवास योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, छात्रवृत्ति, साईकिल, पोशाक, मध्याह्न भोजन योजना, पोषाहार वितरण, AC, DC बिल, स्वास्थ्यपरक योजना, हल्का कर्मचारी के कार्यों इत्यादि महत्वपूर्ण योजनाओं की गहन समीक्षा करेंगे। इसी आलोक में आयुक्त, मुंगेर, प्रमंडल, मुंगेर के पत्रांक 2388/वि०, दिनांक 31.05.2013 के अनुरूप प्रखंड-सह-अंचल के नामित वरीय उपसमाहर्ता (Mentor) को निदेश दिया गया था कि वे कम-से-कम एक दिन


तत्काल साप्ताहिक बैठकों में निर्धारित तिथि वृहस्पतिवार को समीक्षा के लिए प्रखंड-सह-अंचल जाएंगे तथा समीक्षा कर एक प्रतिवेदन दूसरे दिन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएंगे। परन्तु इसका शत-प्रतिशत अनुपालन नहीं किया जाना खेदजनक है। अतएव पुनश्च निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक वृहस्पतिवार को उक्त बैठक का आयोजन अपनी अध्यक्षता में करते हुए बैठक की कार्यवाही की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दो दिन पश्चात् निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे अपने कर्तव्य के प्रति तत्पर एवं कार्यकुशल नहीं हैं। सहजता हेतु उक्त बैठक में गहन समीक्षा हेतु निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं का उल्लेख पुनश्च किया जाता है :-

- लोक सेवा का अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सेवावार वितरण पंजी के अद्यतन संधारण एवं प्रावधानानुसार कार्य संपादन की जाँच करना।
 - सामाजिक सुरक्षा पेंशन अन्तर्गत प्रखंड/पंचायत स्तरीय कर्मियों द्वारा अग्रिम राशि प्राप्ति के पश्चात् विपन्न समर्पित न कर अपने पास ही रखे हुए हैं, जो गबन का मामला बनता है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले परिलक्षित होने पर निरीक्षण टिप्पणी में अंकित करते हुए दोषी पदाधिकारी/कर्मियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का प्रस्ताव देना।
 - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 06(छह) प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की घटकवार वास्तविक संख्या, मार्च, 2013 तक राशि प्राप्त करने वाले पेंशनधारियों की संख्या के आधार पर संकलित करवाकर उपलब्ध करवाना।
 - वैसे पेंशनधारी, जिन्हें पूर्व में डाकघर के माध्यम से पेंशन की राशि का भुगतान होता था, परन्तु वर्तमान में किन्हीं कारणों से इन्हें पेंशन भुगतान नहीं हो रहा है तो ऐसे लाभुकों को पोस्ट ऑफिस के खाता संख्या/PPO संख्या के आधार पर वितरण पंजी के माध्यम से अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण कर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान कर भुगतान किया जाना।
 - बिहार शिक्षा परियोजना/सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यान्वित योजनाओं के प्रगति की समीक्षा/जांच हेतु प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालयों/कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय/उत्प्रेरण केन्द्र का भी स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण टिप्पणी से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना।
 - आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं, यथा-आंगनबाड़ी केन्द्र/भवन/केन्द्रों में कार्यान्वित योजनाओं/सेविका/सहायिका के कार्य/पोषाहार की स्थिति की गहन समीक्षा/स्थलीय निरीक्षण कर अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करना।
 - विभिन्न स्रोतों से प्रायः ऐसी शिकायत प्राप्त होती रहती है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि स्वीकृत्योपरान्त अभी तक वितरित नहीं की गई है। समीक्षोपरान्त ऐसे मामले प्रकाश में आने पर तत्क्षण यथोचित कार्रवाई कर प्रतिवेदन देना।
 - बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण अन्तर्गत प्रपत्र-2 एवं 3 का सत्यापन संबंधित हल्का कर्मचारी/राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी के स्तर से कराये तथा साप्ताहिक बैठकों में कार्य के प्रगति की समीक्षा कर प्रतिवेदित करना।
2. विदित हो कि विभाग द्वारा सरकारी भूमि (शहरी) का सर्वेक्षण कर अतिक्रमण पाए जाने पर उक्त भूमि को अतिक्रमणमुक्त करते हुए घेराबन्दी कराने का निदेश प्राप्त हुआ है, जिसके लिए अधियाचना प्राप्त कर आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जानी है। इस कार्य के लिए शहरी क्षेत्रान्तर्गत अंचल अधिकारी, यथा-सदर,

जमालपुर, तारापुर एवं खड़गपुर को निदेश दिया जाता है कि बिना अनुमति प्राप्त किए सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण पर तत्काल रोक लगाते हुए भा0द0वि0 की धारा 107 का प्रस्ताव अनुमंडल पदाधिकारी को देंगे। साथ ही अतिक्रमणमुक्त सरकारी भूमि की घेराबन्दी हेतु अधियाचना अपर समाहर्ता, मुंगेर को उपलब्ध करार्येंगे। इस कार्य का पर्यवेक्षण अपर समाहर्ता, मुंगेर विशेष तौर पर करेंगे।


3. प्रभारी वरीय उपसमाहर्ता, जिला विकास शाखा को निदेश दिया गया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना एवं आपदा के लंबित ए0सी0 विपत्रों के लिए डी0सी0 विपत्र तैयार कर समायोजन हेतु संबंधित पदाधिकारी को पत्राचार करेंगे।
4. आई0टी0 प्रबंधक, मुंगेर सभी RTPS स्थलों का नियमित भ्रमण करेंगे तथा बैकलॉग सुधारने हेतु यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वरीय पदाधिकारी (Mentor) RTPS काउण्टरों के आस-पास दलाली व्यवस्था पूर्णरूपेण बंद करने हेतु कार्यालय खुलने के समय तथा बंद होने के पूर्व औचक निरीक्षण कर दलालों को पकड़कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।


ज्ञापांक.....1952...../गो0, दिनांक.....25/09/2013

प्रतिलिपि : नगर आयुक्त, नगर निगम, मुंगेर/अपर समाहर्ता, मुंगेर/उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर/प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मुंगेर/खास महाल पदाधिकारी, मुंगेर/सभी शाखा/कार्यालयों के वरीय पदाधिकारी/जिला सूचना एवं जनसमपर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर/जिला कल्याण पदाधिकारी, मुंगेर/सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, मुंगेर/जिला योजना पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक.....1952...../गो0, दिनांक.....25/09/2013

प्रतिलिपि : आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।


(नरेन्द्र कुमार सिंह)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।